रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 1989/वैशाख 26, 1911
No. 255] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 1989/VAISAKHA 26, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 मई, 1989

सं. 140/89-केन्द्रीय उत्पादशुल्क

सा.का.नि. 546(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 40/85-केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तारीख 17 मार्च, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"26	सल्फर डाइआक्साइड और सल्फर ट्राइआक्साइड	यदि उनका उपयोग सल्फरिक अम्ल के विनिर्माण के लिए उत्पादन कारखाने के भीतर किया जाता है"

[फा.सं. 349/2/89-टी.आर.यू.]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th May, 1989

No. 140/89-Central Excises

G. S. R. 546 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 40/85-Central Excises, dated the 17th March, 1985, namely :—

In the Table annexed to the said notification, after serial numbers 25 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)
"26	Sulphur dioxide and Sulphur trioxide	If consumed within the factory of production in the manufacture of Sulphuric acid"

[F. No. 349/2/89-TRU]

सं. 141/89-केन्द्रीय उत्पादशुल्क

सा.का.नि 547(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के शीर्ष सं. 30.03 के अन्तर्गत आने वाले रिफम्पीसीन एकल घटक सूत्रण और आइसोनियाजिड (आइएनएच) सहित रिफम्पीसीन सूत्रण को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पादशुल्क से छूट देती है।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "आइसोनियाजिड (आईएनएच) सहित रिफम्पीसीन सूत्रण" से ऐसा औषधि द्रव्य अभिप्रेत है जो मानव या प्राणियों में रोग के निदान, उपचार, शमन, या निवारण के लिए या उनमें, आंतरिक या बाह्य उपयोग के लिए औषधियों या किसी भेषजिक साहाय्य (जैसे तनुकारक, अवखण्डन कर्मक आर्द्रता कर्मक, स्नेहक, बफर कर्मक, स्थाई कारक या परिरक्षक) जो उपचार के लिए अक्रिय है और औषधियों के उपचारात्मक और रोग निरोधी क्रियाकलापों में बाधक नहीं है, उपयोग सहित या उसके बिना, प्रपुंज औषधियों रिफम्पीसीन आइसोनियाजिड (आइ एन एच) सहित या उसके बिना, से प्रसंस्कृत किए गए हैं या जिनमें ऐसी औषधियाँ हैं किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) लागू नहीं होता है।

(ख) "रिफम्पीसीन एकल घटक सूत्रण" पद से ऐसा औषधि द्रव्य अभिप्रेत है जो मानव या प्राणियों में रोग के निदान उपचार, शमन, या निवारण के लिए या उनमें, आंतरिक या बाह्य उपयोग के लिए औषधियों या किसी भेषजिक साहाय्य (जैसे कि तनुकारक, अवखण्डन कर्मक आर्द्रता कर्मक, स्नेहक, बफर, कर्मक, स्थाई कारक या परिरक्षक (जो उपचार के लिए अक्रिय है और औषधियों के उपचारात्मक और रोग निरोधी क्रिया कलापों में बाधक नहीं है, उपयोग सहित या उसके बिना, रिफम्पीसीन प्रपुंज औषधि से प्रसंस्कृत किए गए हैं या जिनमें ऐसी औषधियां हैं किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) लागू नहीं होता।

(ग) "प्रपुंज औषधि" पद का वही अर्थ है जो उसे औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 में प्रदान किया गया है।

[फा.सं. 352/1/89-टी.आर.यू.]

No. 141|89-Central Excises

G.S.R. 547 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts single ingredient formulations of Rifampicin and formulations of Rifampicin with Isoniazid (INH), and falling under heading No. 30.03 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from the whole of the duty of excise leviable thereon, which is specified in the said Schedule.

Explanation :—For the purposes of this notification, —

(a) the expression "formulations of Rifampicin with Isoniazid (INH)" means medicaments processed out of or containing the bulk drugs Rifampicin and Isoniazid (INH) with or without the use of any pharmaceutical aids (such as diluent, disintegrating agent, moistening agent, lubricant, buffering agent, stabiliser or preserver) which are therapeutically inert and do not interfere with therapeutic or prophylactic activity of the drugs for internal or external use for, or in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of disease in human beings or animals, but does not include any substance to which the provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) do not apply.

(b) the expression "single ingredient formulations of Rifampicin" means medicaments processed out of Rifampicin bulk drug with or without the use of any pharmaceutical aids (such as diluent, disintegrating agent, moistening agent, lubricant, buffering agent, stabiliser or preserver) which are therapeutically inert and do not interfere with therapeutic or prophylactic activity of the drug for internal or external use for, or in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of disease in human beings or animals, but does not include any substance to which the provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) do not apply.

(c) the expression "bulk drug" has the same meaning as assigned to it in the Drugs (Prices Control) Order, 1987.

[F. No. 352|1|89-TRU.]

सं. 170/89-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 548(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं 208/81-सीमाशुल्क, तारीख 22 सितम्बर, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के उपाबद्ध सारणी में, "क जीवनरक्षी औषधि, या औषध" शीर्ष के नीचे मद सं. 204 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"205. इन्टरफेरॉण अल्फा 2 बी इन्जेक्शन".

[फा. सं. 346/70/89-टी.आर.यू.]

टी जयरामन, अवर सचिव

No. 170|89-Customs

G.S.R. 548 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 208|81-Customs, dated the 22nd September, 1981, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, under heading "A. Life saving drugs or medicines", after item No. 204 and the entry relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely :—

"205. Interferon alpha-2b injection"

[F. No. 346|70|88-TRU]

J. JAYARAMAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989

-